संख्या–198 /VI/2005–3(7)/2004

प्रेषक,

एन0एन0 प्रसाद,
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
पटेलनगर, देहरादून ।

पर्यटन अनुभागः देहरादून दिनांक 2, मार्च, 2005

विषयः– रूद्रपुर (उधमसिंह नगर) में प्रस्तावित झील के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–356/2–6–445/2004 दिनांक 08–11–2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय रूद्रपुर (उधमसिंह नगर) में प्रस्तावित झील के निर्माण हेतु रू0 250.00 लाख के आगणनों के विरूद्व टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रू0 238.00 लाख के आगणनों की प्रशासनिक स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि के व्यय करने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें ।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

10–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2005 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का ग एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अधूरी योजनाओं पर पूर्व स्वीकृत शि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद वमुक्त की जायेगी। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को संदर्भित कर दी जायेगी।

कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

ागणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिया जायेगा और इसके विलम्ब के कारण कोई लागत में वृद्वि अनुमन्य होगा।

उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–04–राज्य –49–पर्यटन विकास की नई योजनाएं–24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–882/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 18 मार्च, 2005 त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

ंख्या– VI/2005–3(7)/ 2004/ तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

हालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
रिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उधमसिंहनगर।
वित्त अनुभाग–3।
ी एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
पर सचिव, नियोजन।
जी सचिव मा0 मुख्यमन्त्री जी, उत्तरांचल शासन।
जी सचिव मा0 पर्यटन मन्त्री जी, उत्तरांचल शासन ।
िदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
ार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।